उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः- 2072 / VI(1) / 2021-03(05) / 2015 T.C
देहरादूनः दिनांक 01 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात :-

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2021" है। (2) यह नियमावली, नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम 5 का संशोधन	2.	दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उप नियम (2) खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :	
		स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		(ग) ऐसा व्यक्ति गृह आवास (होम-स्टे) के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी हो	(ग) जहां योजना कियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो, उस प्रयोजन हेतु भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिक प्रतिभूमि के रूप में बन्धक स्वरूप

A.D. (T.T.)

			स्वीकार किया जायेगा: परन्तु यह कि, यदि भूमि स्वामी आवेदक के साथ सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने तो अनुदान की राशि केवल आवेदक को देय होगी। परन्तु यह और कि, पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी, की अवधि से अधिक हो।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– 2072 (1)VI(1)/2019–03(05)/2015 T.C, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
(4) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(8) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(9) समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना (अग्रेजी/हिन्दी) को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
(11) गार्ड फाईल।

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।